भारत सरकार

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 87

बुधवार, 24 फरवरी, 2016/5 फाल्गुन, 1937 (शक)

ई पी एफ ओ द्वारा एए+ या इससे भी ज्यादा रैंक प्राप्त बॉन्ड्स में निवेश किया जाना

87. डा. के.पी. रामालिंगम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ) ने निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी एए+ अथवा इससे भी ज्यादा रैंक प्राप्त बॉन्ड्स में निवेश शुरू करने का निर्णय लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भी सच है कि ई पी एफ ओ द्वारा नियुक्त पेशेवर निधि प्रबंधकों ने मानकों को शिथिल करने के लिए कहा था ताकि अधिकाधिक कॉरपोरेट ऋणों को निवेश योग्य बनाया जा सके; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ने दिनांक 24 नवम्बर,2015 को सम्पन्न अपनी 209वीं बैठक में दोहरी एए+ रैंक प्राप्त निजी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) बॉन्ड्स में निवेश का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ): पेशेवर निधि प्रबंधकों के सुझावों पर आधारित कार्यसूची सीबीटी के समक्ष उसकी दिनांक 25.02.2013 को सम्पन्न 201वीं बैठक में रखी गई थी, जिसमें पेशेवर निधि प्रबंधकों ने एएए रैंक प्राप्त प्रतिभूतियों के निवेश को विश्व में धीरे-धीरे विस्तार करने तथा उसके पश्चात एए तथा ए रैंक प्राप्त प्रतिभूतियों की ओर भी अग्रसर होने पर सुझाव दिया।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 90

बुधवार, 24फरवरी, 2016/5फाल्गुन, 1937(शक)

ई.पी.एफ.ओ. द्वारा निवेश से आय

90. **डा. के. पी. रामालिंगम:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) अपनी निगरानी के अंतर्गत आस्तियों में वृद्धि के अनुरूप निवेश अवसरों में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ई .पी.एफ.ओ. को वर्ष 2015-16 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान से 1,15,000 करोड़ का नया संग्रहण प्राप्त होने की उम्मीद है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि वर्ष 2014-15 में बचत पर 8.75 प्रतिशत लाभ का अर्जन हुआ था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): जी, नहीं।

(ख): उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ग): वर्ष 2015-16 (जनवरी, 2016 तक) के दौरान कर्मचारी भ विष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी भ विष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 में भ विष्य निधि (पीएफ) अंशदानों (नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनों का अंश) से ताजा स्रोतों के रूप में 27,673.94 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं।

(घ): जी, हाँ। वर्ष 2014-15 में ईपीएफओ में बचत ने 8.75 प्रतिशत का प्र तिफल अ र्जित किया है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 410

बुधवार, 27अप्रैल, 2016/ 7 वैशाख, 1938 (शक)

बागान कामगारों के लिए बीमा योजना

410. डा. चंदन मित्रा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बागान क्षेत्र के लिए बीमा योजना शुरू करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो योजना की प्रमुख विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा छोटे धारकों तथा बागान कामगारों को मूल्य वृद्धि तथा अन्य खतरों से बचाने के लिए उन्हें सामाजिक सुरक्षा संरक्षा प्रदान करने हेतु क्या नए कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (ग):बागान कामगारों पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं होता है।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 412

बुधवार, 27अप्रैल, 2016/ 7 वैशाख, 1938 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि में निष्क्रिय खाते

412. श्रीमती वानसुक साइम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के कुल 15 करोड़ से भी ज्यादा खातों में से लगभग 9 करोड़ खाते, जिनमें 32,000 करोड़ रुपये हैं, निष्क्रिय पड़े हुए हैं और मात्र करीब 4 करोड़ खातों में योगदान दिया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने केवल उन खातों में ब्याज का भुगतान बहाल किया है, जो रोजगार नहीं होने के कारण निष्क्रिय हो गए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने लगभग 20,000 ईपीएफ कामगारों में भेदभाव की भावना कम करने के लिए उनके कैरियर के विकास तथा प्रोन्नति से संबंधित उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक विसंगति समिति गठित की है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वार्षिक खातों के अनुसार 31.03.2015 तक 35,531.39 करोड़ रुपये की राशि को कर्मचारी भविष्य निधि में निष्क्रिय खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन खातों की संख्या जिनसे यह राशि संबंधित है उसका अलग से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वार्षिक लेखों के समेकन की प्रक्रिया के भाग के रूप में न तो संग्रहण किया जाता है और न ही समेकन।

(ख): जी, नहीं।

(ग): जी, हाँ। कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने अपनी दिनांक 29.03.2016 की 212वीं बैठक में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, संयुक्त सचिव (सामाजिक सुरक्षा), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, ईपीएफओ को शामिल करते हुए एक विसंगति निपटान-सह-क्रियान्वयन समिति का गठन किया है ताकि अंतर कोदूर किया जा सके।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 414

बुधवार, 27 अप्रैल, 2016/ 7 वैशाख, 1938 (शक)

कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि बकाया की गणना और इसे जमा किया जाना

414. श्री एस थंगावेलु:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने फरवरी, 2016 से प्रभावी रूप से भविष्य निधि अंशदान को जमा करने में नियोक्ता को दिए जाने वाली पॉच दिन की छूट अवधि समाप्त कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि नियोक्ता मजदूरी और ईपीएफ देयताओं की गणना इलेक्ट्रॉनिक रूप से करते हैं और इलेक्ट्रानिक चालान-सह-रसीद जमा करते हैं;

(घ) क्या विप्रेषित धन भी इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा किया जाता है; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि इससे भविष्य निधि की गणना और बैंक में इसके विप्रेषण की प्रक्रिया तथा लगने वाले समय में कमी आई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (ख): नियोक्ताओं को भविष्य निधि अंशदान जमा करने के लिए दी गई 5 दिनों की रियायत -अविधि को फरवरी, 2016 से हटा दिया गया है।

(ग) जी, हॉ।

(घ) जी, हां। नियोक्ताओं को अब सांविधिक देय राशि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करानी होगी। हालांकि, बैंक आधारित खातों के परिचालन में समस्या आने की स्थिति में नियोक्ता अपनी देय राशि चेक के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

(ङ) जी, हां।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 419

बुधवार, 27 अप्रैल, 2016/ 7 वैशाख, 1938 (शक)

भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन

419. डा प्रदीप कुमार बालमुचू:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार छोटे व्यावसायिक घरानों के कर्मचारियों को भी भविष्य निधि योजना का लाभ प्रदान करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) भविष्य निधि अधिनियम में किए जा रहे संशोधनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 में व्यापक सुधार हेतु एक प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है जिसमें अन्य बातों के साथ अधिनियम के अंतर्गत कवरेज की सीमा रेखा को 20 से घटाकर 10 कर्मचारी करना शामिल है।

(ख) इस संशोधन प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ अधिनियम के अंतर्गत कवरेज हेतु सीमा रेखा को 20 से घटाकर 10 कर्मचारी करना, अधिनियम के अंतर्गत कवरेज हेतु अनुसूची हटाना, मजदूरी की परिभाषा का सरलीकरण इत्यादि, बहुसदस्यीय ईपीएफ अपीलीय अधिकरण, एक नई श्रेणी का "लघु प्रतिष्ठान" (40 व्यक्तियों तक को नियोजित करने वाला) कर्मचारियों के पास राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस) को चुनने का विकल्प होना, इत्यादि शामिल है।

***

भारत सरकार

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 425

बुधवार, 27अप्रैल, 2016/7वैशाख, 1938 (शक)

ईपीएफऔरपीएफकेब्याजदरोंमेंकटौती

425. श्रीरामकुमारकश्यप:

क्या**श्रमऔररोजगार**मंत्रीयहबतानेकीकृपाकरेंगेकि:

(क) क्यासरकारनेकर्मचारीभविष्यनिधिऔरभविष्यनिधिआदिपरमिलनेवालेब्याजदरोंमेंकटौतीकीहै;

(ख) यदिहां,तोतत्संबंधीब्यौराक्याहै;

(ग) सरकारकर्मचारीभविष्यनिधिऔरभविष्यनिधिकेब्याजदरोंकानिर्धारणकरनेमेंकिनचीजों काध्यानरखतीहैऔरक्याइसकेलिएकोईनिश्चितफार्मूलानिर्धारितकियागयाहै;और

(घ) यदिहां,तोतत्संबंधीब्यौराक्याहैऔरयदिनहीं,तोइसकेक्याकारणहैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि पर मिलने वाली ब्याज दरों का निर्धारण वित्तीय वर्ष 2014-15 की 8.75 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 8.70 प्रतिशत की दर का अनुसमर्थन किया है। सामान्य भविष्य निधि के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए ब्याज दर अर्थात 8.70 प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं है।

(ग) और (घ): कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दरों का निर्धारण कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर मौजूदा निवेश के माहौल एवं वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर किया जाता है। सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज दरों का निर्धारण सामान्य भविष्य निधि (पीपीएफ) पर निर्धारित ब्याज दरों के समतुल्य किया जाता है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 430

बुधवार, 27 अप्रैल, 2016/ 7 वैशाख, 1938 (शक)

एनपीएस में परिवर्तन

430. श्री ए. विलियम रबि बर्नार्ड:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में से आहरण पर प्रस्तावित कर को रद्द करने के बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को आकर्षक बनाने हेतु परिवर्तन लाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर को रद्द करने के बाद ईपीएफ अधिक लाभप्रद हो जाता है क्योंकि अब सभी आहरण कर मुक्त हो गये हैं जबकि एनपीएस में से सभी आहरणों पर कर लागू है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): सरकार ने वित्त विधेयक 2016 में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के संबंध में निम्नलिखित का प्रस्ताव किया है:

i. एकमुश्त आहरण पर एनपीएस निधि के 40 प्रतिशत कर की छूट अनुमत करना।
ii. वार्षिकी की खरीद हेतु उपयोग में लाई गई एनपीएस निधि पर सेवा कर माफ कर देना।
iii. एनपीएस के तहत शामिल अंशदाता की मृत्यु की स्थिति में नामिति द्वारा प्राप्त की जाने योग्य राशि को कर से छूट दी गई है।
iv. मान्यता प्राप्त भविष्य निधि से एनपीएस में परिवर्तन करने हेतु अंशदाता को कर देयता के बिना एकबारगी पोर्टेबिलिटी।
v. अधिवर्षिता निधि से एनपीएस में परिवर्तन करने हेतु अंशदाता को कर देयता के बिना एकबारगी पोर्टेबिलिटी।

(ग) और (घ): वित्त विधेयक, 2016 के उपबंधों के अनुसार, एनपीएस के अंतर्गत पेंशन निधि का 40 प्रतिशत एकमुश्त आहरण पर कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा, केन्द्रीय बजट, 2016-17 में आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत भविष्य निधि के 60 प्रतिशत के कराधान हेतु प्रस्ताव सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) कर-मुक्त योजना है।

तथापि, ईपीएफ और एनपीएस अंशदाताओं की अलग-अलग श्रेणियों को उपलब्ध भिन्न योजनाएं है तथा वे आपस में तुलनीय नहीं हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 432

बुधवार, 27 अप्रैल, 2016/ 7 वैशाख, 1938 (शक)

दस कर्मचारियों वाली कम्पनियों में भविष्य निधि काटा जाना

432. श्री लाल सिंह वडोदिया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार दस कर्मचारियों वाली कम्पनियों द्वारा भी भविष्य निधि काटे जाने का प्रावधान करने वाला कानून बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रमएवंरोजगारराज्यमंत्री (स्वतंत्रप्रभार)

(श्रीबंडारुदत्तात्रेय)

(क) से (ग): कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 में व्यापक संशोधन के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जो कि अन्य बातों के साथ-साथ इस अधिनियम के अंतर्गत इसमें कवरेज के लिए कर्मचारियों की अंतिम सीमा को 20 से घटाकर 10 करना शामिल है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1214

बुधवार, 4मई, 2016/14वैशाख, 1938 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांड में निवेश

1214. श्री एस. थंगावेलु:

क्या **श्रम और रोजगार**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास अधिशेषनिधियां हैं किन्तु इस संगठन ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांड में अपने निवेश पर हानि होने और कमजोर शेयर बाजार का हवाला देकर सरकारी प्रतिभूतियों में अधिक निवेश हेतु छूट प्राप्त करने के लिए तर्क दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सरकारी बांड में 11,000 करोड़ रुपये के निवेश हेतु सरकार की सहमति प्राप्त करना चाहता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने इसके लिए अपनी अनुमति प्रदान कर दी है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): जी, नहीं।

(ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सरकारी बांड में अधिकनिवेश के लिए सरकार से अनुमोदन मांगा था।

(ग): सरकार ने सरकारी प्रतिभूतियों में 45-50 प्रतिशत से 45-65 प्रतिशत तक निवेश में वृद्धि करने की सूचना दी है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1221

बुधवार, 04मई, 2016/14 वैशाख, 1938 (शक)

भविष्य निधि से धनराशि निकालने के लिए मानदंड

1221. श्री दिलीप कुमार तिर्की:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पात्र आयु को 54 वर्ष से बढ़ाकर57 वर्ष करके भविष्य निधि से धनराशि निकालने संबंधी अपने मानदंडों में बदलाव किया है;

(ख) क्या यह कदम व्यापक तौर पर कर्मकारों के हितों को प्रभावित करेगा; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कदम उठाए जाने के कारण और औचित्य क्या-क्या हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): जी, हाँ। हालांकि, सरकार द्वारा दिनांक 10.02.2016 की अधिसूचना सं. सा.क.नि. 158 (असाधारण) को 19.04.2016 को हटा लिया गया है जिसके माध्यम से पात्रता आयु को 54 से 57 बढ़ाते हुए कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 68-एनएन के तहत भविष्य निधि आहरण हेतु मानदण्डों में भी संशोधन किया गया था।

(ख): यह सेवा-निवृत्ति के समय कार्यबल के सामाजिक सुरक्षा कवर/संरक्षण को मजबूत करने का प्रस्ताव था।

(ग): भविष्य निधि एक सामाजिक सुरक्षा साधन होते हुए कामगारों को उनके कामकाजी जीवन के अंतिम दिनों में वित्तीय सहायता / सहयोग प्रदान करने का साधन है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सभी प्रतिष्ठानों में सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष या अधिक है, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) कीनिकासी की अनुमति सेवा निवृत्ति के समय प्रदान करने और उससे पहले नहीं करने का प्रस्ताव था। ये प्रस्ताव कामगारों को सेवा निवृत्ति के समय वित्तीय संरक्षण प्रदान करने हेतु नियत किए गए थे।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1224

बुधवार, 04 मई, 2016/ 14 वैशाख, 1938 (शक)

भविष्य निधि से धन निकालने के मानक

1224. श्री एस थंगावेलु:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि से धनराशि निकालने और उसका वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में निवेश करने के मानक कड़े कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सदस्यों को भविष्य निधि से धनराशि निकालने और उसे निवेश हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम में अंतरित करने हेतु 57 वर्ष की आयु तक इंतजार करना पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) जी, नहीं। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में निवेश हेतु प्रावधान कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) स्कीम 1952 के पैरा 68 एनएनएन में उपलब्ध है तथा ईपीएफ स्कीम 1952 के पैराग्राफ 68-एनएनएन में कोई बदलाव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के दृष्टिगत यह प्रश्न नही उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के दृष्टिगत यह प्रश्न नही उठता।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1226

बुधवार, 4 मई, 2016 / 14 वैशाख, 1938 (शक)

श्रम बैंक की स्थापना

1226. श्री देवेंदर गौड टी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु श्रम बैंक की स्थापना करने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास 6.5 लाख करोड़ रुपये की कायिक निधि है और उसे जमा राशि के रूप में 70,000 करोड़ रुपये मिल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव का कार्यान्वयन कब तक किया जाएगा?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (ख): जी, नहीं। तथापि, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) के श्रमिक संघ सदस्यों के द्वारा श्रमिक बैंक के गठन हेतु प्रस्ताव का सरकार द्वारा परीक्षण किया जा रहा है।

(ग): ईपीएफओ के वर्ष 2014-15 के लिए संप्रेक्षित वार्षिक लेखों के अनुसारइ, निधियों का कोष 6,34,174 करोड़ रुपये है।

वर्ष 2014-15 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत बनाई गई तीन योजनाओं के अंतर्गत कुल अंशदान (आहरण की वापसी तथा प्रतिभूतियों के स्थानान्तरण सहित) 83,089.96 करोड़ रुपये है।

(घ): कोई समयसीमा नहीं दी जा सकती क्योंकि इस चरण पर संभाव्यता का परीक्षण किया जा रहा है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1229

बुधवार, 4 मई, 2016 / 14 वैशाख, 1938 (शक)

न्यूनतम पेंशन

1229. डॉ. ई . एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पेंशन और न्यूनतम पेंशन संबंधी मुद्दों पर काम कर रही है ताकि महंगाई भत्ता सहित 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन प्रदान करने की नीति और अन्य सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन के बीच एकरूपता रहे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सं.प्र.ग. सरकार की नीति का कार्यान्वयन करने में क्या बाधा है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (ख): जी, नहीं। सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत पेंशनभोगियों को प्रतिमाह 1000/- रुपये की न्यूनतम पेंशन 01.09.2014 से प्रभावी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 593(अ), दिनांक 19 अगस्त, 2014 द्वारा वर्ष 2014-15 के संबंध में अधिसूचित की है, जिसे बिना विराम के मार्च, 2015 से आगे जारी रखा गया है।

तथापि, इस समय कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति से जुड़ा महंगाई भत्ता (डीए) प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। मुद्रास्फीति को पूर्णत: निष्प्रभावी करके पेंशन को सूचकांक से जोड़े जाने संबंधी मुद्दे पर कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 की समीक्षा हेतु वर्ष 2009 में सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया था और इसे कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 जैसी वित्त पोषित योजना के मामले में व्यवहार्य नहीं पाया गया जिसमें नियोक्ता और सरकार का अंशदान क्रमश: 8.33 प्रतिशत और 1.16 प्रतिशत की नियत दर पर होता है। अत:, लाभों के मूल्य को मुद्रास्फीति से जो परिवर्ती है जोड़कर के खुला नहीं छोड़ा जा सकता।

******

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2008

बुधवार, 11मई, 2016/21 वैशाख, 1938 (शक)

सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों के भविष्य निधि बचत पर कर

2008. श्री पॉल मनोज पांडियन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार को उन नए मानकों को पूर्णरूप से तथा बिना शर्त के वापस लेना पड़ा जिसके अन्तर्गत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले अपने भविष्य निधि खाते से निकासी पर रोक लगायी गयी थी;

(ख) क्या यह भी सच है सरकार को सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों के भविष्य निधि बचत पर कर लगाने के प्रस्ताव को भी वापस लेने को मजबूर होना पड़ा;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार के उक्त दोनों प्रस्तावों के विरुद्ध देशभर में विरोध हुआ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): भारत सरकार ने अब किसी भी स्थापना में, जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 लागू होता है, कर्मचारी न रहने पर उसके अपने कुल अंशदान एवं उस पर बयाज से अनधिक निकासी को सीमित करने वाली दिनांक 10.02.2016 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 158(अ) को वापिस ले लिया है।

(ख): सरकार ने केन्द्रीय बजट 2016-17 के प्रस्ताव को भी, जिसमें किसी व्यक्ति के किसी वार्षिकी स्कीम नहीं खरीदने की स्थिति मेंउसकी संग्रहित राशि के 60% पर कर लगाना था, वापस ले लिया है।

(ग) एवं (घ): इन प्रस्तावों के विरोध में कुछ दृष्टांत सरकार के नोटिस में आएथे।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2010

बुधवार, 11 मई, 2016/ 21 वैशाख, 1938 (शक)

बंद पड़े भविष्य निधि खातों पर ब्याज दिया जाना

2010. श्री हरिवंश:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंद पड़े खातों पर ब्याज देने से कर्मचारियों को कोई लाभ मिलेगा;

(ख) किन-किन क्षेत्रों के कर्मचारियों के ऐसे खाते सबसे अधिक बंद पड़े हैं;

(ग) कर्मचारियों को भविष्य निधि (पीएफ) न देने वाली कंपनियों पर पिछले दो साल में सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(घ) देश की विभिन्न योजनाओं में जमा ऐसे कितने पैसे हैं, जिनका कोई दावेदार नहीं है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): जी नहीं। बकाया राशियों का निपटान होते ही खाता बंद हो जाता है। इसी कारण, बंद खातों पर ब्याज जमा करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख): उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ग): कर्मचारियों को भविष्य निधि उपलब्ध न कराने वाली कंपनियों के विरुद्ध पिछले दो वर्षों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा की गई विभिन्न कार्रवाईयां निम्न प्रकार हैं:

(1) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क के अंतर्गत उन प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई जहां अधिनियम की अनुप्रयोज्यता के संबंध में विवाद, इस विवाद का निर्णय करने तथा चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध देयों के निर्धारण के लिए उत्पन्न होता है।

(2) बकाया राशियों के विलंबित जमा के लिए जुर्माना लगाने के लिए अधिनियम की धारा 14ख के अंतर्गत कार्रवाई।

(3) विलंब से प्रेषित किए गए धन पर ब्याज लगाने के लिए अधिनियम की धारा 7थ के अंतर्गत कार्रवाई।

(4) अधिनियम की धारा 8ख से 8छ के अंतर्गत यथा उपबंधित वसूली की कार्रवाईयां।

(5) सक्षम न्यायालय के समक्ष चूककर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन दायर करने के लिए अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई।

(6) कर्मचारियों की मजदूरी/वेतन से कटौती किए गए लेकिन निधि में जमा न किए गए कर्मचारियों के अंशदान के शेयर की गैर-अदायगी के लिए नियोक्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत कार्रवाई।

(घ): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत बनाए गए सभी खाते चाहे वे अंशदायी (सक्रिय) खाते हों या निष्क्रिय खाते हों, उनके निश्चित दावेदार होते हैं।

***

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2019

बुधवार, 11मई, 2016/21 वैशाख, 1938 (शक)

ईपीएफ अपील संबंधी अधिकरण के समक्ष बढ़ते लंबित मामले

2019. श्री पलवई गोवर्धन रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ईपीएफ अपील संबंधी अधिकरण के समक्ष लंबित मामलों की बढ़ती संख्या के क्या कारण हैं, जो वर्ष 2011-12 के 1904 से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 3500 हो गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मामलों की संख्या 74 से बढ़कर 150 से भी ज्यादा हो जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार लंबित मामलों को कम करने और मामलों के निपटान हेतु क्या प्रयास कर रही है क्योंकि भविष्य निधि कर्मचारियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण धन है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण के समक्ष आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित मामलों सहित लंबित मामलों में वृद्धि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:-

(i) इन वर्षोंके दौरान निर्णीत किए जाने वाले मामलों के कार्य बोझ में वृद्धि।

(ii) कथित अवधि के दौरान कुछ समय के लिए ईपीएफएटी में कोई पीठासीन अधिकारी नहीं था।

(ग): आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा राज्यों तथा अण्डमान और निकोबार तथा पुडुचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु बँगलुरू में एक और ईपीएफएटी स्थापित किया गया है।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2167

बुधवार, 16 मार्च, 2016/ 26 फाल्गुन, 1937 (शक)

भगत सिंह कोश्यारी समिति की सिफारिशें

2167. **श्री महेन्द्र सिंह माहरा:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेंशन धारकों की समस्या के निवारण हेतु गठित भगतसिंह कोश्यारी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या सरकार को समिति की संस्तुतियों को लागू करने में कठिनाईयां आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिक्कतों को दूर करने के लिए किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): जी हां।

(ख): याचिकाओं संबंधी समिति, राज्य सभा की 147वीं रिपोर्ट (भगत सिंह कोशियारी समिति की रिपोर्ट) दिनांक 03.09.2013 को प्रस्तुत की गई थी।

(ग) एवं (घ): समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवहार्यता की सीमा का जहां तक संबंध है, उन्हें कार्यान्वित किया गया है अथवा कार्यान्वित किए जाने हेतु लिया गया है। प्रमुख सिफारिशों तथा उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा अनुबंध में है।

***

*

अनुबंध

भगत सिंह कोश्यारी समिति की सिफारिशों से संबंधित श्री महेन्द्र सिंह माहरा द्वारा पूछे गए दिनांक 16.03.2016 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2167 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

याचिकाओं संबंधी समिति, राज्य सभा की 147वीं रिपोर्टकी प्रमुख सिफारिशों तथा उन पर की गई कार्रवाई

याचिकाओं संबंधी समिति (राज्य सभा) की 147वीं रिपोर्ट जिसे भगत सिंह कोशियारी समिति रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवहार्यता की सीमा का जहां तक संबंध है, उन्हें कार्यान्वित किया गया है अथवा कार्यान्वित किए जाने हेतु लिया गया है। समिति की सिफारिशों और उन पर की गई कार्रवाई का संक्षेप में नीचे वर्णन किया गया है:

(i) प्रतिमाह 3,000/-रुपये की न्यूनतम पेंशन वहन करने हेतु समिति ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस) में सरकार का अंशदान सदस्य के वेतन के 1.16 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 8.33 प्रतिशत कर दिए जाने की सिफारिश की है।
सरकार ने वित्तीय व्यवहार्यता की बाध्यताओं के चलते इस पहल के लिए बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस के अंतर्गत 01.09.2014 से प्रभावी प्रतिमाह 1,000/-रुपये की न्यूनतम पेंशन कार्यान्वित की है।

(ii) अंशदान के लिए मजदूरी सीमा बढ़ायी जाने हेतु सिफारिश कार्यान्वित कर दी गयी है और 01.09.2014 से प्रभावी मजदूरी सीमा को प्रतिमाह 6,500/-रुपये से बढ़ाकर प्रतिमाह 15,000/-रुपये कर दिया गया है।

(iii) समिति ने बढ़ाए गए भविष्य निधि (पीएफ) संचय हेतु प्रोत्साहन देने की दृष्टि से कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना, 1976 की समीक्षा की सिफारिश की थी। उसने विद्यमान को राहत/सूचीकरण प्रदान करने के लिए अधिशेष ईडीएलआई निधि के उपयोग को इष्टतम बनाए जाने की भी सलाह दी थी।
तदनुसार, एक व्यावसायिक जीवांकक द्वारा ईडीएलआई निधि का जीवांकन मूल्यांकन किया गया था तथा इस अध्ययन की सिफारिशों के आधार पर पीएफ शेष में लाभ को ईपीएफ संचय के प्रोत्साहन निर्माण से विधिवत रूप से जोड़ते हुए ईडीएलआई के अंतर्गत लाभ को अधिकतम 3,60,000/-रुपये से बढ़ाकर 6,00,000/-रुपये कर दिए जाने संबंधी प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है।

(iv) जैसा कि समिति द्वारा संस्तुत किया गया है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने संगठन में चार्टर्ड एकाउंट्स संस्थान से विशेषज्ञ सहायता लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएण्डएजी) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप आधुनिक लेखाकरण विधियां अंगीकार करने संबंधी कार्य शुरू किया है।

(v) समिति ने कायिक निधि के बेहतर प्रबंधन के लिए निधि प्रबंधकों की नियुक्ति और इक्विटी में निवेश का सुझाव दिया था।
ईपीएफओ ने निधियों के बेहतर और कुशल प्रबंधन के लिए सितम्बर 2008 से पहले ही निधि प्रबंधकों की नियुक्ति की है तथा निवेश वित्त मंत्रालय द्वारा विहित तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेश के प्रतिमान तथा केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा निवेश के प्रतिमान के प्राचलों के भीतर समय-समय पर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

(vi) समिति ने सुझाव दिया था कि निधि के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के सदस्यों से संबंधित डेटा की मात्रा और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किए जाने चाहिए। समिति ने यह सिफारिश भी दी थी कि निधि का बीमांकक मूल्यांकन वर्तमान में प्रत्येक वर्ष के बजाय प्रत्येक 3 वर्षों बाद संचालित किया जाना चाहिए तथा यह भी कि सरकार को बीमांकक घाटे को कम करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसने यह सुझाव भी दिया था कि अनिवार्य वार्षिकी ग्राह्यता के साथ मौजूदा कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के स्थान पर भविष्य निधि-सह-पेंशन वार्षिक स्कीम लाई जाए।
समिति के सुझावों के अनुसार सदस्यों से सूचना एकत्र करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं तथा 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 का मूल्यांकन लगभग 60% सक्रिय अंशदान करने वाले सदस्यों और 100% पेंशनधारकों के डेटा के साथ किया गया था जिसके परिणामस्वरूप मूल्यांकन करने में बेहतर गुणवत्ता और विश्वसनीयता आई है। न्यूनतम पेंशन के प्रस्ताव को सहमति देते हुए बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्ट की सिफारिशों और वित्त मंत्रालय के सुझावों को ध्यान में रखते हुए, घाटे को कम करने के लिए कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 में अनेक संशोधन किए गए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ पेंशन-योग्य वेतन की गणना 12 महीने के औसत के बजाय 60 महीने के औसत के आधार पर करना तथा पात्र सेवा का निर्धारण सेवा की सामान्य अवधि के बजाय अंशदायी सेवा के आधार पर करना शामिल है। डेटा की गुणवत्ता में सुधार तथा संशोधन के परिणामस्वरूप कर्मचारी पेंशन निधि के घाटे में काफी कमी आई है। प्रत्येक 3 वर्षों में मूल्यांकन कराने तथा स्कीम को वार्षिक आधार वाली स्कीम के साथ प्रतिस्थापित करने के सुझाव के संबंध में, कहा गया है कि केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, ईपीएफ द्वारा इसकी 190वीं और 202वीं बैठक में इन पर विचार किया गया था जहाँ वार्षिक आधार वाली स्कीम के प्रस्ताव पर कोई सर्वसम्मति नहीं हो सकी तथा यह महसूस किया गया कि वार्षिक मूल्यांकन जारी रखा जाना चाहिए।

(vii) समिति ने मुद्रास्फीति को प्रति संतुलित करने के लिए पेंशन की राशि में मूल्य वृद्धि के निष्प्रभावीकरण की व्यवस्था करने की भी सिफारिश की है।
निश्चित लाभों और निश्चित अंशदान की विशेषताओं वाली वित्त-पोषित स्कीम होने के नाते कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 मुद्रास्फीति के प्रभाव को निष्फल करके पेंशन में बढ़ोतरी का प्रावधान करने को सुसाध्य नहीं पाती है। तथापि, यदि वार्षिक मूल्यांकन में भावी अधिशेष की प्रकटीकरण होता है तो स्कीम के प्रावधान के अनुसार समुचित राहत पर विचार किया जा सकता है।

(viii) समिति ने सुझाव दिया था कि पेंशन निधि से वापसी को हतोत्साहित किया जाना चाहिए तथा अधिवर्षिता की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किया जाना चाहिए।
इस संबंध में, स्पष्ट किया जाता है कि ईपीएफओ ने सदस्यों को वापसी का अनुरोध करने के बजाय उनके खातों के स्थानांतरण में सुगमता प्रदान करने के लिए सदस्यों के लिए सार्वभौम खाता संख्या (यूएएन) तथा ऑनलाइन स्थानांतरण दावा पोर्टल पेश किया है। पेंशन का अधिकार देने की आयु को स्वैच्छिक आधार पर 58 वर्ष से आस्थगित करके 60 वर्ष करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

(ix) समिति ने पेंशनधारकों के लिए पृथक शिकायत निवारण तंत्र तथा पेंशन के क्रेडिट होने में विलंब के मामले में हित की मंज़ूरी देने का भी सुझाव दिया है।
इस संबंध में, स्पष्ट किया गया है कि इस तथ्य से अलग कि ऑनलाइल शिकायत पोर्टल भी परिचालित है, ईपीएफओ के मुख्यालय में पेंशन संबंधी शिकायतों के लिए अलग-से ग्राहक सेवा प्रभाग (सीएसडी-VI) स्थापित है। जहां तक पेंशन के क्रेडिट होने में विलंब होने का प्रश्न है, यह उल्लिखित है कि ईपीएस की पेंशनें प्रत्येक माह कोर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से क्रेडिट की जाती हैं तथा पेंशन को प्रत्येक माह के पहले कार्यदिवस को क्रेडिट किया जाना सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2172

बुधवार, 16 मार्च, 2016/26 फाल्गुन, 1937 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारियों के अंशदान से संभावित रूप से संगृहीत होने वाली धनराशि

2172. श्री पॉल मनोज पांडियन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियंत्रण तथा निगरानी अंतर्गत सेवानिवृत्ति संबंधी बचत राशि दस लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है और इस प्रकार यह विश्व में ग्यारहवीं सबसे बड़ी पेंशन निधि बन गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों के अंशदान से कर्मचारी भविष्य निधि के खजाने में वर्ष 2015-16 के दौरान 1,15,600 करोड़ रुपए की धनराशि संगृहीत होने की संभावना है;

(घ) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त धनराशि वास्तविक रूप से अनुमानित धनराशि की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक होगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (ख): वर्ष 2014-15 के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लेखा परीक्षित समेकित वार्षिक लेखा के अनुसार, ईपीएफओ द्वारा संचालित निधि का अंतशेष 6,34,174.33 करोड़ रुपये है।

विश्व में ईपीएफओ के ग्यारहवीं विशालतम पेंशन निधि होने के संबंध में, ईपीएफओ के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग): जी, नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत निर्मित तीन योजनाओं में संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2015-16 में ताजा अभिप्राप्ति 1,01,538.54 करोड़ रुपये है।

(घ) और (ड.): वर्ष 2015-16 के संबंध में संशोधित अनुमान, बजट अनुमानों की तुलना में 13.81 प्रतिशत अधिक लगाए गए हैं। इन तीन योजनाओं के संशोधित अनुमानों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(i) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 : 71,398.25 करोड़ रुपये ।

(ii) कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 : 29,000.00 करोड़ रुपये ।

(iii) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना, 1976 : 1,140.29 करोड़ रुपये ।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 40

बुधवार, 27 अप्रैल, 2016 / 7 वैशाख, 1938 (शक)

संनिर्माण कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

***40. श्री टी. रतिनावेल:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का विचार कर रही है कि देश में सभी संनिर्माण कर्मकारों को कर्मचारी भविष्य निधि जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया जाए;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयास में राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनको पत्र लिखे हैं;

(ग) क्या देश के लाखों संनिर्माण कर्मकारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के भीतर लाने में सबसे बड़ी चुनौती उनके काम का समय विशेष और प्रवासी स्वरूप है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

******

संनिर्माण कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना से संबंधित श्री टी. रतिनावेल द्वारा दिनांक 27.04.2016 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *40 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 अधिनियमित किया है जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों के नियोजन एवं सेवा शर्तों को विनियमित करता है तथा उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण उपायों का प्रावधान करता है। यह दस अथवा उससे अधिक सन्निर्माण कामगारों को नियोजित करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू होता है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत, सन्निर्माण कामगारों के कल्याण संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए निर्माण लागत के 1% की दर से उपकर एकत्र किया जाता है।

उपकर निधि का उपयोग राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डों द्वारा दुर्घटना की स्थिति में लाभार्थी को तत्काल सहायता, 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन के भुगतान, मकानों के निर्माण के लिए ऋण तथा अग्रिम, सामूहिक बीमा योजना के प्रीमियम, बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता, गंभीर बीमारियों में चिकित्सा व्यय, प्रसूति लाभ के भुगतान और अन्य कल्याण उपायों एवं सुविधाएं प्रदान करने हेतु किया जाता है।

इसके अलावा, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 60 के तहत जारी दिनांक 8 अक्टूबर, 2015 के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सन्निर्माण कर्मकारों की दुर्घटना के कारण मृत्यु और नि:शक्तता, प्राकृतिक मृत्यु, वृद्धावस्था के दौरान पेंशन, स्वास्थ्य एवं प्रसूति सुविधा की कवरेज और उनके बच्चों के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता तथा कौशल प्रशिक्षण सुनिश्चित करने का निदेश दिया है।

उपर्युक्त के अलावा, बीस अथवा उससे अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में सन्निर्माण कामगार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत सुविधाओं का लाभ उठाते हैं तथा दस अथवा उससे अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में सन्निर्माण कामगार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत कवरेज पाते हैं।

इसके अलावा, सन्निर्माण कामगारों और प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों को कवर करने के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया गया है। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 में जीवन एवं नि:शक्तता कवर, स्वास्थ्य एवं

प्रसूति सुविधाएं, वृद्धावस्था संरक्षा और असंगठित कामगार सामा जिक सुरक्षा अ धिनियम, 2008 की अनुसूची I में सूचीबद्ध निम्नलिखित योजनाओं के द्वारा अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं:-

1. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)**
2. **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)**
3. **जननी सुरक्षा योजना (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)**
4. **हथकरघा बुनकर विस्तृत कल्याण योजना (वस्त्र मंत्रालय)**
5. **हस्तशिल्प कारीगर समग्र कल्याण योजना (वस्त्र मंत्रालय)**
6. **मास्टर शिल्पकारों के लिए पेंशन (वस्त्र मंत्रालय)**
7. **मछुवारों की राष्ट्रीय कल्याण योजना और प्रशिक्षण तथा विस्तार (कृषि मंत्रालय)**
8. **जनश्री बीमा योजना (वित्त मंत्रालय**)
9. **आम आदमी बीमा योजना (वित्त मंत्रालय)**
10. **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)**

सन्निर्माण कामगारों और अन्य ऐसे कर्मकारों के मौसमी एवं प्रवासी स्वरुप पर विचार करते हुए, उनके नियोजन को विनियमित करने तथा सेवा शर्तों का प्रावधान करने हेतु अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, इन कामगारों को यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता, रिहायशी आवास, चिकित्सा सुविधाएं और संरक्षात्मक परिधान आदि का प्रावधान किया गया है।

****